



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226151
CG-DL-E-26032021-226151

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1242]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943

No. 1242]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1346(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 216 के कि.मी. 126.1 से कि.मी. 10.8 तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH216 पर भूमि का अधिग्रहण ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब-कलेक्टर अमलापुरम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH216 के कि.मी. 126.1 से 10.8 तक	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	राजोलु	1 शिवकोडु
					मलिकिपुरम	1 गुडिमेल्लंका
						2 विस्वेस्वारायापुरम
						3 मलिकिपुरम
					सखिनेटिपल्ले	1 रामेस्वरम
						2 सखिनेटिपल्ले
						3 अंतर्वेदीपलेम

[फा. सं. RO/VJA/AnnualPlan2020-21Pt-2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1346(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of road in Bypass to Narsapur Town from Km. 126.1 to Km. 10.8 of National Highway No.216 in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. 216 in the State of ANDHRA PRADESH.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub-Collector Amalapuram	126.1KM To 10.8KM	ANDHRA PRADESH	EAST GODAVARI	Razole	1 Sivakodu
					Malikipuram	1 Gudimellanka
						2 Visweswarayapuram
						3 Malikipuram
					Sakhinetipalle	1 Rameswaram
						2 Sakhinetipalle
						3 Antarvedipalem

[F. No. RO/VJA/AnnualPlan2020-21Pt-2]

RAJESH GUPTA, Director